न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS.

अपील संख्या 71/2022

1 हाजरा बानो पत्नी हुसैन खां उम्र 77 वर्ष जाति कायमखानी निवासी राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सलीम खां पुत्र जीवण खां।
2 आलम खां पुत्र जीवण खां।
3 उस्मान खां पुत्र जीवण खां।
4 खान मोहम्मद पुत्र जीवण खां।
5 याकूब खां पुत्र जीवण खां।
6 हनीफ खां पुत्र जीवण खां।
7 नजमा बानो पुत्री जीवण खां।
8 सलमा बानो पुत्री जीवण खां।
9 मुमताज खां पुत्र छोटू खां।
10 मुकारब खां पुत्र छोटू खां।
11 याकूब खां पुत्र छोटू खां।
12 हाकम खां पुत्र छोटू खां।
13 रमजान अली पुत्र हुसैन खां।
14 शहनाज बानो स्त्री महबूब अली पुत्र हुसैन खां।
15 शोयब पुत्र महबूब अली पुत्र हुसैन खां।
16 शाहीना पुत्री महबूब अली पुत्र हुसैन खां।
17 रफीक खां पुत्र जीवण खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी
डा0 कुलराज मीणा आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 05/2022
उनवानी सलीम खां आदि बनाम मुमताज खां आदि
आवेदन अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955
दिनांकित 21.07.2022

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02/11/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अपने खेत खसरा नम्बर 30 एवं 31 तन ग्राम मलसीवास बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लगायत 16 के खेत खसरा नम्बर 241 तन ग्राम राजास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 12 के खेत खसरा नम्बर 238 तन ग्राम राजास में से राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करवाने के लिए धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की इबारत उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई गई। पक्षकारान ने इसे सही होना स्वीकार कर राजीनामें की पुश्त पर एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की, पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने मुताबिक राजीनामा संसोधित निर्णय जारी करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दौराने सुनवाई अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामें की इबारत उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई गई। पक्षकारान ने इसे सही होना स्वीकार कर राजीनामें की पुश्त पर एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित की, पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। लोक अदालत की भावना से किये गये राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील आंशिक स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा संसोधित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 238 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए रास्ते को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार यथावत रखा जाता है। यह रास्ता खसरा नम्बर 241 वाके ग्राम राजास की उत्तरी पुर्वी कोने में प्रवेश करके खसरा नम्बर 241 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पश्चिमी तरफ 65 मीटर तक रहेगा। 65 मीटर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
सीकर

के पश्चात दक्षिण की तरफ मुडकर दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दक्षिणी सीमा तक जायेगा एवं दक्षिणी सीमा से पश्चिम में मुडकर दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम की तरफ चलता हुआ खसरा नम्बर 31 में प्रवेश करेगा। यह रास्ता 15 फीट चौड़ा रहेगा। यह रास्ता अपीलांट अपनी सहमति से दे रही है। इसके संदर्भ में अपीलांट किसी प्रकार की प्रतिकर राशि एवं भूमि के बदले भूमि नहीं ले रही है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर